जब्तशुदा माल को सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए अनुमोदित सहकारी समितियों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य सहकारी संघ को थोक मात्रा में बेचा जाता है । ऐसे माल की बिक्री के लिए सैनिक/पुलिस/अर्ध-सैनिक कैन्टीनों को भी पेशकश की जाती है । थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऐसे माल की बिक्री सीमाशुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को "पहले आओ और पहले पाओ" के आधार पर खुदरा रूप में की जाती है । ऐसा माल संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता है जो माल के बाजार मूल्य सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखती है । तत्पश्चात् राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को 14 1/2% की छूट दी जाती है और अन्य सहकारी समितियों को 10% की छूट दी जाती है । अलग-अलग ग्राहकों को कोई छूट नहीं दी जाती है ।

(ख) से (घ) अक्तूबर, 1987 से अनिषेधात्मक बोर के जब्तशुदा हथियारों (बैपन्ज) को विभागीय अधिकारियों तथा अन्य को न बेचकर इन्हें विभागीय प्रयोग के लिए रख लिया जाता है । तथापि, यदि कोई हथियार बच जाता है तो उसको अनुरोध प्राप्त होने पर केवल संसद सदस्यों को बेचा जाता है । जबकि प्रारंभ में ऐसे हथियारों का बिक्री मूल्य, बाजार मूल्य होता था जिसपर 5% की छूट उपलब्ध थी, परन्तु अप्रैल, 1990 से ऐसे हथियार लागत, बीमा तथा भाड़ा मूल्य जमा उस मूल्य का 250% की दर से बेचे जा रहे हैं ।

रतलाम में "स्टील स्क्रैप यार्ड" की स्थापना किया जाना

980. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रतलाम में एक स्टील स्क्रैप यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्रों का स्थापित किया जाना

981. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की हाल ही में हुई एक बठक में यह स्वीकार किया गया है कि मध्य प्रदेश में तीन और इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन संयंत्रों को गैस पर आधारित ऊर्जा से चलाया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Permission to Financial institutions to sell property of M/s. Mackinnon Mackenzie and Company Limited

982. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have permitted the financial institutions who have their shares and financial interest in the Mackinnon Mackenzie and Company Limited to

sell the property of the company to collect their dues:

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the value of the property of the company that was sold by the company to pay the interest as well as loan amount to financial institutions?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) It has been reported by the six all India financial institutions, namely IDBI, IFCI, ICICI, LIC, GIC and UTI that they have not extended any direct loan assistance to M/s. Mackinnon Mackenzie and Company Limited.

It has also been reported by LIC, which holds a percentage of the equity shares of the Company, that to meet the pressing liabilities, a resolution was placed the shareholders at an Annual General Meeting of the company held in 1988 for enabling the Company under certain provisons of the Companies Act to sell all or any of its assets on such terms as agreed by the Board of Directors.

RBI has reported that from sale of certain assets some amounts were deposited by the Company with Bank of India to be utilised towards reduction of outstanding dues of the Company.

औद्योगिक घरानों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन

983. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 के वर्ष के दौरान कितने औद्योगिक घरानों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है ; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Gold Smugglers' racket

984. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gold smugglers' racket has been busted when a gold-courier with about 4.5 Kgs. of gold was caught at Indira Gandhi International Airport, New Delhi, on the 18th April, 1990;

(b) if so, what are the details of the racket its *modus operandi* and persons apprehended in that connection; and

(c) whether it is also a fact that the gold smuggling continues unabated despite revocation of the Gold Control Order?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) Yes, Sir. On 17th April, 1990, the officers of Collectorate of Customs, Delhi, intercepted a passenger who had arrived at Delhi Airport with a Washing machine from Dubai. Dismantling of the washing machine, on suspicion, resulted in the recovery and seizure of gold pieces in various shapes weighing 4.450 Kgs. valued at Rs. 15.15 lakhs approximately. The passenger named Shri Shamsuddin Ismail Babal and two others named Satnam Singh and Shahzad Ali Khan have been arrested.

(c) Reports indicate that gold continues to be sensitive to smuggling into the country.

Incentives/Assistance for encouraging deep sea fishing

985. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have